

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना—14.

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या— 49 / 2017—18

फोन नं— 2223727
 फैक्स नं—2224529

1.	निविदाकर्ता का पदनाम	:	मुख्य अभियंता, पटना ।			
2.	निविदा प्रकाशन की तिथि	:	18-01-2018			
3.	निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय	:	29-01-2018 को अपराह्न 17.00 बजे तक ।			
4.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	01-02-2018 को अपराह्न 15.00 बजे तक ।			
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	01-02-2018 को 15.30 बजे अपराह्न से ।			
6.		:	परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा ।			
7.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:	(क)	पुलिस निगम, मुख्यालय ।		
			(ख)	पुलिस महानिदेशक—सह—पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।		
			(ग)	निविदा सम्बन्धित प्रमण्डल से भी बिक्री होगी ।		
8.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	1. (क)	रु0 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमण्डल में तथा उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियंता, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायगी ।		
			(ख)	रु0 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक—सह—पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना ।		
9.	सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी ।					
10.	निर्माण कार्य का व्यौरा	:				
क्रम	कार्य का नाम		प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु. में ।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु0 में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	गया जिलान्तर्गत विष्णुपद थाना भवन में चहारदिवारी एवं अन्य कार्यों का विशेष मरम्मति कार्य । (पुनर्निविदा)		5.72	11500	1250	1 माह पिछड़ा वर्ग
2.	मधुवनी जिलान्तर्गत CCTNS परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पण्डौल, सकरी, रजौली, कलुआही, राजनगर, बाबूबरही, देवधा, लदनिया, मधवापुर, साहरधाट, हरलाखी, भैरवरथान, मधेपुर, भेजा, लखनौर, अंधराठाढ़ी, रुद्रपुर, घोघरडीहा, लौकही, लौकहा एवं अंधरामठ थानाओं में पुलिस स्टेशन के site preperation का विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)		5.76	11600	1250	1 माह अनुसूचित जाति
3.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत CCTNS परियोजना के कार्यान्वयन हेतु झुमरा, रीगा, मेजरगंज, वैरगनियाँ, सहियारा, परसौनी, रुन्नीसैदपुर, सुरसंड, बथनाहा, बेला, परिहार, सोनवर्षा, कन्हौली, नानपुर, बाजपटटी, महिला एवं अनु0जाति थानाओं में पुलिस स्टेशन के site preperation का विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)		4.66	9400	750	1 माह अति पिछड़ा वर्ग
4.	अरवल जिलान्तर्गत पुलिस लाईन, अरवल में 12 लोअर सबौर्डिनेट आगास(ब्लौक-1) का विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)		1.64	3300	500	1 माह अति पिछड़ा वर्ग
5.	पटना जिलान्तर्गत आई०पी०एस० मेस बेली रोड में डायनिंग का जीर्णोद्धार कार्य (पुनर्निविदा)		9.85	19700	1250	1 माह अति पिछड़ा वर्ग
6.	पटना जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-१४ में Water hauge for drinking of horses with boring (125 mm x 50 mm x 90 mm) का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)		2.98	6000	750	1 माह सामान्य


- 2 -

7.	भोजपुर जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक भोजपुर के आवास का रंग-रोगन एवं मरम्मति कार्य। (पुनर्निविदा)	7.13	14300	1250	1 माह	पिछड़ा वर्ग
8.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक के कैम्पस में किचेन मेस का विशेष मरम्मति कार्य (पुनर्निविदा)	0.45	900	250	1 माह	पिछड़ा वर्ग
9.	भोजपुर जिलान्तर्गत सहार थाना में 6 लोअर सबौर्डिनेट आवास में विद्युतिकरण कार्य (पुनर्निविदा)	3.13	6300	750	2 माह	अति पिछड़ा वर्ग
10.	पटना जिलान्तर्गत City S.P. पूर्वी गाँधी मैदान के कार्यालय में विद्युतिकरण का कार्य (पुनर्निविदा)	2.83	5700	750	2 माह	सामान्य
11.	बेगुसराय जिलान्तर्गत नगर थाना, बेगुसराय में स्टोरेज फैसिलीटी भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	8.63	17300	1250	1 माह	अनुसूचित जन जाति
12.	दरभंगा जिला में वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य	6.47	13000	1250	2 माह	सामान्य
13.	शेखपुरा जिलान्तर्गत करण्डे थाना में 6 एल०एस०आवास का विद्युतिकरण कार्य	2.56	5200	750	1 माह	सामान्य
14.	पटना जिलान्तर्गत Beltron Bhawan में State Environment Easement Authority के कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य	1.61	3300	500	2 माह	अति पिछड़ा वर्ग
15.	कटिहार जिलान्तर्गत मिस्ट टेक्नोलॉजी योजना के अन्तर्गत दण्डखोरा थाना एवं मुफ्फसिल थाना में वाहनों में जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य	0.42	900	250	1 माह	सामान्य
16.	पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लौरिया थाना में पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में बाँकी चहारदिवारी का निर्माण कार्य	7.15	14300	1250	2 माह	अनुसूचित जाति
17.	पटना जिलान्तर्गत पुरानी सचिवालय परिसर में अग्निशाम हेतु 15-सिपाहियों के बैरक, शौचालय, रसोईघर एवं गैरेज के एसबेस्टस सीट छत पर जी०सी०आई० सीट एवं कैम्पस में पी०सी०सी०रोड, एवं पेमर ब्लौक लगाने का कार्य	9.92	19900	1250	2 माह	सामान्य
18.	पटना जिलान्तर्गत पीरवहोर थाना परिसर में बवाटर नं०-३ का जीर्णोद्धार कार्य	3.16	6400	750	2 माह	पिछड़ा वर्ग
19.	अररिया जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक, अररिया के आवास का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मति कार्य	8.42	16900	1250	2 माह	सामान्य
20.	बक्सर जिला के पुलिस अधीक्षक आवासीय भवन सह गोपनीय कार्यालय का मरम्मति कार्य	5.00	10000	750	2 माह	अनुसूचित जाति
21.	पटना जिलान्तर्गत सीटी एस०पी० (सेन्ट्रल) के कार्यालय कक्ष में विद्युतिकरण का मरम्मति कार्य (भाग-२)	1.99	4000	500	1 माह	सामान्य
22.	पटना जिलान्तर्गत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना के कान्फ्रेन्स हॉल, कंपाउण्ड, कैन्टीन एवं चहारदिवारी का विशेष मरम्मति कार्य	9.73	19500	1250	1 माह	अति पिछड़ा वर्ग
23.	शेखपुरा जिलान्तर्गत करण्डे थाना में 4 यू०एस०आवास का विद्युतिकरण कार्य	2.07	4200	500	1 माह	सामान्य

24.	मधेपुरा जिलान्तर्गत मिस्ट टेक्नोलॉजी योजना के अन्तर्गत उदाकिशनगंज थाना, गम्हरिया थाना, कुमारखण्ड थाना एवं टेंगराहा ओ०पी० में वाहनों में जलापूर्ति हेतु निर्माण कार्य	0.91	1900	500	1 माह	पिछड़ा वर्ग महिला
25.	पटना जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-१ गोरखा वाहनी के कर्मियों के पाकशाला (मेस) का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य	6.93	13900	1250	2 माह	सामान्य
26.	पटना जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-१ गोरखा वाहनी में मनोरंजन गृह का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य	5.38	10800	1250	2 माह	अति पिछड़ा वर्ग
27.	पटना जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-१ गोरखा वाहनी के शस्त्रागार का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य	8.44	16900	1250	2 माह	सामान्य

11. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।
12. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निवादाता की निविदा अमान्य मानी जायगी । परिमाण विपत्र की दर से कम दर देने वाले निवादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया जायेगा ।
13. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती हैं । इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है ।
14. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम) / बैंक ड्राफ्ट एवं किसान विकास-पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, उपरोक्त कंडिका सं०-४ में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही मान्य होगा । पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी ।
15. परिमाण-विपत्र विक्री के समय संवेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जॉर्च एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :—आयकर पैन नं०, GST निबंधन, उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चित्र प्रमाण-पत्र । निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय अभिप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी । अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा ।
16. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।
17. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
18. निगम द्वारा अनुमोदित विशिष्टि का सीमेंट एवं स्टील संवेदक स्वयं आपूर्ति करेंगे । सीमेंट आई०एस० 8112-1989, आई०एस० 455-1989 छड़ बी०आई०एस० 1786 के अनुरूप होना चाहिए तथा आई०एस०ओ० 9001/9002, आई०एस०ओ० 14001-1996 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
19. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायगी ।
20. किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा ।
21. कार्य की प्राकक्लित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण-विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी ।
22. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ दस्तावेज में देखी जा सकती हैं ।
- 23(क) आरक्षित कोटे की निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राकक्लित राशि के अनुरूप समुचित श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी । इस श्रेणी में निबंधित संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में हीं भाग ले सकते हैं । जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं । उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा ।
- 23(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा— सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद एवं निकाय के निबंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरानामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा । अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।
24. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :— (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरानामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरानामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरानामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों ।


25. विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब काट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।
सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा ।
26. परिमाण विपत्र विक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।
27. परिमाण विपत्र का मूल्य मात्र शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपरोक्त कंडिका सं0-3 में अंकित तिथि तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के नाम हो एवं पटना में भुगतेय हो ।
निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है ।
28. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं यथा निदेशित अभिलेखों पर हस्ता�क्षर करेंगे ।
29. निविदा कागजात अध्याय-6 कंडिका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा ।
30. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा एवं संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।
31. अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के एक संवेदक को एक वित्तीय वर्ष में उक्त प्रावधानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकम, प्राधिकरण, परिषद एवं निकाय द्वारा आवंटित कार्य की अधिकतम सीमा रु0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) होगी । इस हेतु संबंधित निविदादाता को एक शपथ पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विषयांकित प्रावधान के आधार पर अब तक उन्हें आवंटित सभी कार्यों की कुल राशि की शपथ पत्र (Affidavit) देना अनिवार्य होगा ।
32. नियमानुसार अंकित कमांक कोटिवार आरक्षण के तहत आरक्षित किया जाता है । सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्राप्तिपत्रि तथा शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । निविदाकार द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा विषयांकित सुविधा से उन्हें हमेशा के लिए बचित कर दिया जाएगा ।

 18/01/2018
मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच०क्यू-

पटना, दिनांक-


प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल— पटना, मगध प्रमण्डल, कैम्प-डेहरी, मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प-हाजीपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ एवं भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित ।

 18/01/2018
मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच०क्यू-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक / कार्यपालक अभियंता, प्रमण्डल—राजगीर, एवं मोनिटरिंग / विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी / कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

 18/01/2018
मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच०क्यू-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि— वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, अरवल, बक्सर, गया, शेखपुरा, मधुवनी, सीतामढी, बेगुसराय, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया एवं मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

 18/01/2018
मुख्य अभियंता,